an>

Title: Need to provide compensation to farmers whose land has been acquired for construction of National Highway No. 148-D (Gulabpura to Uniara) in Rajasthan in accordance with the new policy.

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण बहुत तेजी से किया जा रहा है, इसके लिए मैं माननीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्री राजमार्ग मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि सरकार द्वारा जिन किसान भाइयों की जमीन राष्ट्री राजमार्ग हेतु अधिगृहीत की जाती है, उनको डी.एल.सी. दर का चार गुना मुआवजा देने का निर्णय नई नीति के तहत किया गया है, यह स्वागत योग्य कदम है। राजस्थान में राष्ट्री राजमार्ग संख्या 148-डी (गुलाबपुरा से उणियारा) के लिए किसानों की जमीन अधिगृहित की गई है, परन्तु उन्हें 2010 की डी.एल.सी. दर से आज मुआवजा देने की बात की जा रही है। किसानों ने मुआवजा लेने से इंकार कर दिया तथा उनका कहना है कि सरकार की मंशा के अनुरूप वर्तमान डी.एल.सी. दर को आधार मानकर चार गुना मुआवजा मिलना चाहिए।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनहित में किसानों को वर्तमान डी.एल.सी. दर से मुआवजा प्रदान करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए जायें।